(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या 14015/35/2010-अ.भा.से.(1)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली; दिनांक: 15 दिसम्बर, 2010

अधिसूचना

श्री ए. एल. गर्ग और बैच द्वारा दायर ओ.ए.सं. 63-सीएच-2009 में माननीय के.प्र.अ., चण्डीगढ खण्डपीठ के दिनांक 17.08.2009 के आदेश के अनुसरण में तथा ओएसं.91/सीएच/2010 में माननीय के.प्र.अ., चण्डीगढ खण्डपीठ के दिनांक 03.06.2010 के आदेश के अनुपालन में और भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा वर्ष 1992-93 से 2006 की पुनरीक्षा चयन सूचियों में शामिल किए गए राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित करने वाली दिनांक 4 दिसम्बर, 2008 की पूर्व की अधिसूचना के आंशिक सुधार में, राष्ट्रपति पंजाब राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2004 और 2005 की पुनरीक्षा चयन सूचियों में उनके नाम शामिल किए जाने के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रिक्तियों के लिए परिवीक्षा पर अगले आदेश तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब संवर्ग में आबंटित करते हैं ।

पुनरीक्षा चयन सूची 2004

क्र.सं.	अधिकारी का नाम(सर्वश्री)
1.	वी.के.ओहरी
2.	हरभूपिंदर सिंह

2. माननीय कें.प्र.अ., चण्डीगढ, खण्डपीठ के निदेशों के तहत वर्ष 2004 और 2005 की चयन सूची से पहले अधिसूचित नियुक्तियां उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानी जाएंगी ।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां सीडब्ल्यूपी सं. 3916/2010(डीओपी एण्ड टी बनाम मेघ राज और अन्य) के परिणाम के अध्यधीन हैं ।

शुक्ला

(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा) ।